न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

प्र.स. 02/2022
सी.सी.एम.एस. : 2022/160

1. जसवन्त पुत्र श्री भानीराम जाति जाट साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।

–अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत लिखमेंवाला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।
2. बिट्टुदेवी पत्नी श्री विनोदकुमार जाति बिश्नोई साकिन 3 एम.एस.डी. ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।

–रेस्पोंडेंट

अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम,

रजू दिनांक 15.03.2022

उपस्थितिः–
1. श्री अजीतपालसिंह अपीलांट
2. श्री सोहन वर्मा रेस्पोंडेट सं. 2 ता 5

–: निर्णय :–

दिनांक :–30.05.2024

1. सक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने अपील मय प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया के अपीलान्ट के संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के लछमण मुखिया थे, जिसके देहान्त उपरान्त उनकी विरास्त से उनके नाम चक 27पी.एस. में दर्ज करीब 56 बीघा भूमि उनके पुत्रों लालू, खिवसी, सतोखा, सुरजा व काशीराम पर औथ हुई। अपीलान्ट के दादा सुरजा से पुश्तैनी भूमि वाके चक 27 पी.एस. तहसील रायसिंनगर के मु.नं. 3 प.नं. 230/284 की 1.550 है. नहरी मु.नं. नया 34 पुराना 45 प.नं. 234/288 की 1.771 है. नहरी कुल 3.321 है. नहरी खातेदारी कृषि अपीलान्ट के पिता भानीराम के नाम से राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हुई। अपीलान्ट अपने पिता भानीराम की वैद्य संतान व इसी परिवार का सदस्य है उक्त भूमि में अपीलान्ट का जन्म से ही उपरोक्त वर्णित पैतृक सम्पति में हित व अधिकार निहित है इसलिए अपीलान्ट व उसके पिता भानीराम व भाई श्योप्रकाश तथा बहन शिमला प्रत्येक का उक्त भानीराम की भूमि में 1/4, 1/4 हिस्सा बनता है मेरे पिता भानीराम भोले भाले अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है वादी का बडा भाई श्योप्रकाश चुस्त व चालाक व्यक्ति व लालची प्रवृति का व्यक्ति है जिसके द्वारा मेरे पिता के दिल व दिमाग पर काबू कर अपने प्रभाव व दवाब में लेकर हमेशा ही अपीलान्ट व मेरी बहन शिमला को उनके पैतृक हिस्सा से वंचित करने की कुचेष्टान्तर्गत अपने हितबद्ध व्यक्तियों के नाम से नुमाईशी कुटरचित दस्तावेज के आधार पर नामान्तरित करवा खुर्द बुर्द कर नुकसान पहुंचाने उपरांत मेरे पिता भानीराम के नाम से चक 27 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 34 प.नं. 224/268 के कि.नं. 18 19 22 ता 24 सालम–सालम, 20/2 की 0.102 है., 21/3 की 0.128 है. कुल 1.495 है. नहरी भूमि शेष रह गई जिसे भी खुर्द बुर्द करने पर आमदा हो गए तथा मेरे पिता व भाई ने मेरा हक समाप्त करने की नियत से उक्त भूमि में से 0.784 है. भूमि का ओने पौने दामो मे रेस्पोडैन्ट सं. 2 के नाम बैयनामा [illegible] पैतृक एव हिन्दू खानदान की सहदायिकी सम्पति है तथा अपीलान्ट [illegible] मे है रेस्पोडेन्ट न. 2 जब मेरे कब्जा काश्त की उक्त [illegible] के लिए आई तथा अपने नाम बैयनामा होने की [illegible] अपीलान्ट [illegible] इस बात की जानकारी हुई जिस पर अपीलान्ट ने उक्त [illegible] प्राप्त कर माननीय न्यायालय मे उक्त भूमि मे [illegible] के लिए वाद सख्या 196/2021 अनवान जसवन्तसिंह बनाम भानीराम आदि पेश किया हुआ है लेकिन उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

दावा विचारण के दौरान रेसपोडेन्ट सं 1 द्वारा रेसपोडेन्ट सं 2 के नाम से राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद कर दिया जबकि इन्तकाल करते समय रेसपोडेन्ट व पटवारी हल्का द्वारा अपीलाट को कोई सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया तथा ना ही रेसपोडेन्टस सं 2 का इस भूमि पर किसी दस्तावेज बैयनामा के आधार पर कोई कब्जा काश्त ही है इसलिए अपीलान्ट निम्नलिखित कारणो व आधारो पर यह अपील पेश कर रहा है। अपील रेसपोडेन्ट सं. 1 के निर्णय दिनांक 07.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन भूमि की जमाबंदी लेने के लिए गया तब अपीलान्ट ने उक्त इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के लिए आवेदन किया जो इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 22.02.2022 को प्राप्त हुई उसके बाद अपीलान्ट ने अपने वकील से राय मशविरा कर बिना किसी देरीना के यह अपील तैयार करवाकर माननीय न्यायालय में पेश की है जो इल्म से अंदर मियाद हे तथा अपील पेश करने में हुई देरीना को कन्डोन करने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तथा यह अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एव श्रवणाधिकार में है व उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेसपोडैन्ट सं. 1 के आदेश दिनांक 07.03.2022 के आधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 357 तस्दीक दिनांक 07.03.2022 अपास्त किया जाकर इन्तकाल संख्या 357 निरस्त फरमाया जावे आपकी अति कृपा होगी।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 2 जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन प्रार्थना पत्र. आदेश 41 नियम 5 एवं धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भानीराम द्वारा अपनी भूमि विधिवत तरीके से अपने परिवारजनों अपीलार्थी जसवन्तसिंह आदि की सहमति व रजामन्दी से परिवार हित में वैध व प्रभावी दस्तावेज बैयनामा दिनांक 30.05.2019 के जरिये मिन रेस्पोडेंट को हस्तान्तरित की गई और प्राप्त रकम परिवार हित के लिये उपयोग में लेते हुये। दिनांक 31.05.2022 को विक्रेता भानीराम द्वारा अपने पुत्र अपीलार्थी व अपनी पत्नी के नाम कृषि भूमि खरीदी गई। इस प्रकार मिन रेस्पोडेंट सद्भावी क्रेता व खातेदार व काबिज होने पर ही उसके पक्ष में अपीलाधीन इन्तकाल विधिवत तरीके से दर्ज व स्वीकृत हुआ। यह कि अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय में अपील से पूर्व राजस्व वाद सं. 196/2021 बअनवानी जसवन्तसिंह बनाम भानीराम आदि प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 04.10.2021 को नोट प्रेस किया गया। जिस वाद में मिन रेस्पोडेंट पक्षकार थी। इससे पूर्व विक्रेता भानीराम की ओर से राजस्व वाद लाया गया था, जिसमें स्थगन प्रा. पत्र खारिज फरमाया गया। इस प्रकार मिन रेस्पोडेंट को नाहक हेरान–परेशान करने व बेजा नुकसान पहुंचाने के मकसद से अपीलार्थी अपने पिता, भाई व बहिन से मिलीभगत, साज–बाज व दुरभिसंधि करते हुए बार–बार प्रकरण पेश कर रहे है, अपीलार्थी सदभावी नही है न ही क्लीनहेण्ड से न्यायालय में आया है। उक्त भूमि पर खरीद से रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त साधिकार, निरन्तर, लगातार, विधिक व वास्तविक रूप से वर्तमान तक मिन रेस्पोडेंट का चला आ रहा है और जिसे मिन रेस्पोडेंट निरन्तर रख पाने की कानूनन हकदार भी है ना ही अपीलांट का कब्जा काश्त है अपीलाधीन इन्तकाल विधि सम्मत तरीके से मिन रेस्पोडेंट के पक्ष में स्वीकृत हुआ है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के तीनों बिन्दू अपीलार्थी के पक्ष में न होकर मिन रेस्पोडेंट के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी काबिल निरस्ती के हैं।

3. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी तथा [illegible] 357 तस्दीक दिनांक 07.03.2022, सहमति पत्र एवं फार्म नं. 03 मे संलग्न दस्तावेजों का अ[illegible]या। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में पस्तुत प्रकरण 196/2021 [illegible] आरटीएक्ट भी खारिज किया गया है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 02 [illegible]/अप्रार्थी [illegible] उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि ग्राम पंचायत [illegible] पंजीकृत के आधार पर है। क्योकि ग्राम पंचायत की बैठक में ही उक्त इन्तकाल [illegible] के द्वारा भूमि जरिये बैयनामा पंजीकृत बिट्टुदेवी के नाम से दर्ज किया गया। जो ग्राम पंचायत की बैठक मे तस्दीक है। स्वीकृत किया गया। प्रस्तुत इंतकाल सं. 357 दिनांक 07.03.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]नगर

उक्त इन्तकाल स्वीकृत करना भी स्वीकार करते है। पंजीकृत बैयनामे के आधार पर ग्राम पंचायत लिखमेंवाला द्वारा कोई विधिक त्रुटिकारित नहीं की है अपील अस्वीकार करने योग्य है।

—:आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ग्राम पंचायत लिखमेवाला द्वारा विवादित भूमि वाके चक 27 पी.एस. तहसील रायसिनगर के मु.नं. 3 प.नं. 230/284 की 1.550 है. नहरी मु.नं. नया 34 पुराना 45 प.न. 234/288 की 1.771 है. नहरी कुल 3.321 है. नहरी भूमि के संबंध में रेसपोडेन्ट सं. 2 के पक्ष मे किये गये इन्तकाल सं. 357 की पुष्टि की जाती हैं। पत्रावली निर्णित होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:48 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner